

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर 2018—भाद्र 19, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्र. एफ 19-56-1993-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त, 2015 में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) नियम, 1994 के नियम-7 के उपनियम (1) में उल्लेखित राशि रुपये 16020 के स्थान पर रुपये 45016 दिनांक 01 जनवरी 2016 से देय होगा, स्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.